न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 24 / 2011

RCMS No. 2011/00047

प्रार्थी:–

मृतक भगवतीलाल एवं गोविन्दलाल मिश्रा के का0मु0 मृत ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र भगवतीलाल मिश्रा के का0मु0

1 विद्या मिश्रा पत्नी भगवतीलाल मिश्रा
2 कान्ता मिश्रा पत्नी ओमप्रकाश मिश्रा
3 नेहा मिश्रा पुत्री ओमप्रकाश मिश्रा
4 सुनिल मिश्रा पुत्र भगवतीलाल मिश्रा
5 अशोक कुमार मिश्रा पुत्र भगवतीलाल मिश्रा जातिगण ब्राहम्ण निवासी 29, सुखानन्द बगेची, न्यू चांदपोल रोड़ सिवांची गेट, जोधपुर जरिये विपुल कुमार शर्मा पुत्र शिवराज शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अस्पताल रोड़, मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. मानसिंह पुत्र हीरालाल जाति रावणा राजपूत निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे, मारवाड जंक्शन
3. कंचन पत्नी गिरधारीलाल जाति रावणा राजपूत निवासी बान्ता, तहसील मारवाड़ जंक्शन
4. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीलाल जाति रावणा राजपूत निवासी बान्ता, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 से 4

–: निर्णय :–

दिनांकः–14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 15 / 1995–1996, संकल्प संख्या 06 दिनांक 22.02.2001 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1948 दिनांक 10.08.2001 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि इस प्रकरण में जिस पट्टा संख्या 1948 दिनांक 10.08.2001 को चुनौती दी गई है, उसी स्थान पर पूर्व में पट्टा संख्या 52 जारी हो चुका है, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.10.1969 को प्रार्थीगण के दादा गोविन्दलाल मिश्रा के पक्ष में जारी किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब एक ही भूमि का जब एक बार पट्टा जारी हो जाता है, तो उस पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए उसी भूमि का दुबारा पट्टा किसी अन्य के नाम से जारी नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे में जो पडौस दर्ज है, उसमें पूर्व में दिलबाग का प्लोट दर्शाया गया है, जबकि दिलबाग के नाम से जो पट्टा जारी हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रखा है, उसके पश्चिम मे प्लाट संख्या 209 दर्ज है, न कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टे के पश्चिम में बाबुलाल का प्लॉट दर्शाया गया है, जबकि बाबूलाल के पट्टे के पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 123 है, जो प्रार्थी गोविन्दलाल मिश्रा का है। प्रार्थी के दादा के नाम भूखण्ड संख्या 123 का पट्टा संख्या 52 जारी हो चुका है तथा भूखण्ड संख्या 122 गोविन्दलाल मिश्रा के पुत्र भगवतीलाल मिश्रा का है, जिसका भी पट्टा जारी हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पट्टा हेतु दिनांक 21.11.1995 को आवेदन पेश किया एवं उसके पश्चात अगली सुनवाई दिनांक 29.08.2000 को हुई, जो पांच वर्ष के पश्चात हुई, जिसका कोई कारण अंकित नहीं है। मिसल की आदेशिका में मुकदमा कब दर्ज किया गया, उसकी दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक 29.08.2000 को तीन पंचो की निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाए जाने की आदेशिका है, परन्तु ऐसी कोई समिति बनी ही नहीं, न ही उन पंचो के नाम इस आदेशिका में है। मानसिंह द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन में उसके प्लॉट संख्या अंकित नहीं है, न ही प्लॉट का मापचोक है। मिसल में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में पंचों के नाम वल्दियत अंकित नहीं है, न ही उनको स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विक्रय के सम्बन्ध में आक्षेप आमन्त्रित करने का जो नोटिस जारी किया गया, उसमें कहीं भी जारी होन, चस्पा करने का उल्लेख नहीं है, न ही यह उल्लेख है कि यह नोटिस किसके सामने चस्पा किया गया। मिसल में बयान फार्म में विष्णुमल के बयान लिए गए है, परन्तु विष्णुमल की उम्र तथा उसकी जाति अंकित नहीं है एवं न ही विष्णुमल ने बयान में हस्ताक्षर किए है। आवेदन पत्र में प्लॉट बताया है, जिसमें कच्चा छोपड़ा बना हुआ है, कितना पुराना निर्माण है, कुछ भी नहीं लिखा है। जो अडौस पडौस दर्शाए है, उस अनुसार कोई प्लॉट आदर्श नगर मारवाड़ जंक्शन में है ही नहीं, क्योंकि उक्त प्लॉट वाली जगह के पूर्व में दिलबाग राय का प्लॉट है ही नहीं। ग्राम सेवक द्वारा कभी मौका निरीक्षण किया ही नहीं गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में भी किस भूमि का निरीक्षण किया गया, कितना निर्माण है आदि तथ्य अंकित नहीं है। आपत्ति इश्तिहार किस स्थान का जारी किया गया है, यह कहीं भी अंकित नहीं है। अप्रार्थी मानसिंह को पट्टा संख्या 1948 प्रारूप 23 में जारी किया गया है, जबकि प्रारूप 23 में वे ही पट्टे जारी किये जाते है, जो नियम 167 (1) के तहत जारी किए हो। आदेशिका दिनांक 22.02.2001 में भी नियम 157 (ख) के तहत भूमि विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु पट्टा विलेख (विक्रय विलेख) नीलामी में 200/– रूपये की ऊंची बोली तथा 200/– रूपये की बाजार दर पर बेचने हेतु जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (2) पेज 272, डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (3) पेज 1399, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9128/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 194/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2017 की प्रति प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 10.08.2001 को जारी पट्टे की निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। निगरानी याचिका प्रक्रियात्मक विधि के आधार पर ही प्रस्तुत की जा सकती है। पट्टा जारी करने हेतु अपनाई गई कथित दूषित प्रक्रिया के आधार पर पट्टा जारी करने के प्रस्ताव व आदेश को निगरानी में विवादित किया जा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सकता है। पट्टा को निरस्त करने का अनन्य क्षैत्राधिकार एक मात्र सिविल न्यायालय में ही निहित है तथा प्रार्थी ने पट्टे निरस्त करने के अनुतोष सहित प्रकरण संख्या सी0ओ0 88/2011 जिला न्यायालय पाली के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है तथा विचाराधीन है। ऐसी दशा में प्रस्तुत निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से पोषणीयता के अभाव में खारिज योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने हेतु विहित सभी प्रावधानों की पालना करते हुए पुराने केलुपोश निर्मित मकान का पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या 2 ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2002 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 3 कंचन कंवर को विक्रय किया, जिसने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 18.02.2008 को अप्रार्थी संख्या 4 धर्मेन्द्रसिंह को विक्रय कर आधिपत्य सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 सद्भावी क्रेता होने से निगरानीग्रस्त याचिका खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने स्वयं का भूखण्ड संख्या 123 होना वर्णित करते हुए याचिका प्रस्तुत की है, जिसके पडौस का मिलान भौतिक रूप से मौके पर नहीं किया गया है। प्रार्थी के पडौस वर्णित जैर कोई भूखण्ड विद्यमान ही नहीं है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी यदि सद्भावी रूप से प्रकरण संस्थित करता है तो सम्पूर्ण स्थिति का वर्णन अवश्य करता। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी के पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 123 के पूर्व में 122 के पूर्व में भूखण्ड संख्या 121 अवश्य होना चाहिए, परन्तु भौतिक यप से अप्रार्थी के पूर्व में भूखण्ड दिलबाग का स्थित है, जिसके पूर्व में मौके पर रास्ता है। यदि दिलबाग का भूखण्ड ही भूखण्ड संख्या 122 हो तो उसके पूर्व दिशा में भूखण्ड संख्या 121 होना चाहिए। जबकि मौके पर भूखण्ड के पास रास्ता स्थित है, अर्थात दिलबाग का भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 122 नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में प्रार्थी की सम्पूण कहानी ही असत्य एवं आधारहीन है। वास्तव में प्रार्थी के पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूखण्ड संख्या 123 के पास पूर्व में भूखण्ड संख्या 122 तथा भूखण्ड संख्या 122 के पट्टे में भूखण्ड संख्या 121 पूर्व की तरफ स्थित है। भूखण्ड संख्या 123 के उत्तर में भूखण्ड संख्या 129 व 131 का आधा हिस्सा अंकित है। जबकि मौके पर उत्तर दिशा में भूपेन्द्र कुमार का परिसर है। भूखण्ड संख्या 122 भगवतीलाल मिश्रा का तथा भूखण्ड संख्या 123 गोविन्दलाल मिश्रा का बताया गया। दोनों भूखण्ड पट्टे अनुसार पास–पास होने चाहिए, जबकि सम्पूर्ण निगरानी याचिका में भूखण्ड संख्या 122 को अपना होना नहीं बताया गया। प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 123 के उत्तर में भूखण्ड संख्या 131 अंकित है, जबकि मौके पर भूखण्ड संख्या 131 के पूर्वी तरफ सड़क के दूसरी ओर भूखण्ड (सजनसिंह) के पीछे स्थित है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्डों का मिलान नहीं होने से निगरानी याचिका खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपने भूखण्ड संख्या 123 वर्णित किए है, किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत से ऐसा कोई दस्तावेज, भूखण्ड का शामलाती नक्शा आदि प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है। निगरानीग्रस्त पट्टा दिनांक 07.10.1969 को जारी होना वर्णित किया है, विधि अनुसार पुराने अधिनियम के, पुराने निर्मित मकानों के पट्टे ही जारी किए जा सकते है। ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम बनाकर भूखण्ड संख्या वर्णित करते हुए भूखण्ड विक्रय किए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसी कोई भी कार्यावही प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रार्थी द्वारा पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किये जाने के तथ्य उठाए है, जबकि जिन पट्टों का प्रार्थी द्वारा सहारा लिया गया है, उनमें वर्णित पडौस एवं

मौके पर भौतिक रूप में अवस्थित भूमि का मिलान ही नहीं होता है। जिस बाबुलाल के भूखण्ड को रेखांकित किया गया है, उसकी वल्दियत दर्ज नहीं है, इससे उक्त बाबुलाल के एक से अधिक भूखण्ड होना संभावित है तथा भूखण्ड के उत्तर में भूपेन्द्र का पडौस वर्णित होने के बारे में प्रार्थी मौन है। भगवतीप्रसाद का भूखण्ड संख्या 122 बताया है, जिसके पूर्व में भूखण्ड संख्या 121 होना चाहिए, किन्तु मौके पर उक्त भूखण्ड के पूर्व में रास्ता है। प्रार्थी की मुख्य आपत्ति भूमि निरीक्षण प्रपत्र में दो पंचों के ही हस्ताक्षर होना जाहिर किया है, जबकि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा जारी करने से पूर्व विहित प्रक्रिया अपनाई गई है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1348, आर0आर0टी0 2017 (1) (एस.सी.) पेज 139, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967, आर0एल0डब्ल्यू0 1964 पेज 41 मं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि के पडौस आदि अंकित किए। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम करते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए सचिव से नक्शा तैयार करवाया गया। सचिव द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया, उसमें प्रस्तावित भूमि के पडौस आदि अंकित किए गए। इसके पश्चात पंचो की मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त आदेश की पालना में जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उनमें पंचो के हस्ताक्षर किए गए है तथा नियम 157 (ख) के तहत विक्रय कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार प्रकरण में प्रक्रियागत त्रुटी नहीं पाई जाती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। इस प्रकार जैर निगरानी वादस्थ भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? तथा क्या जैर निगरानी भूमि वही भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम का पट्टा जारी होकर अस्तित्व में है ? इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में माननीय जिला न्यायालय पाली में वाद विचाराधीन होने से किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अथवा इस बिन्दु को रेखांकित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अब जहां तक प्रक्रियागत परीक्षण का प्रश्न है, तो ग्राम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत द्वारा प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 15/1995–1996, संकल्प संख्या 06 दिनांक 22.02.2001 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1948 दिनांक 10.08.2001 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली